



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

SEE NAME MAHENDRA PRATAP YADAV
AGE 21/11/1981, ULLAPTA
AGE 21/11/1981, ULLAPTA
No-17 Teh & Dist. Kunda-Pratapgarh

7100

1001001001001

Certificate No.	: IN-UP50370710963352V
Certificate Issued Date	: 03-Jul-2023 04:53 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14126004/ PRATAPGARH/ UP-PTG
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1412600495764039225674V
Purchased by	: M L V S P SANSTHAN MALADHAR CHHATTA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: M L V S P SANSTHAN MALADHAR CHHATTA
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: M L V S P SANSTHAN MALADHAR CHHATTA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



शपथ - पत्र

Please write or type below this line

हम कुलदीप पटेल अध्यक्ष एवं श्री दुर्गेश पटेल सचिव मेवालाल वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान ग्राम - मालाधर छत्ता, पोस्ट - जलेशरगंज, तहसील - कुण्डा, जिला - प्रतापगढ (उ०प्र०) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

- 1- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मेवालाल वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान ग्राम - मालाधर छत्ता, पोस्ट - जलेशरगंज, तहसील - कुण्डा, जिला - प्रतापगढ (उ०प्र०) नाम डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- 2- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मेवालाल वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान ग्राम - मालाधर छत्ता, पोस्ट - जलेशरगंज, तहसील - कुण्डा, जिला - प्रतापगढ (उ०प्र०) पिनकोड 230132 (उ०प्र०) में गाटा संख्या 60, 63 खनि. रकबा 0.81 हेक्टेयर कुल रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि है।
- 3- यह है कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
- 4- यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 60, 63 खनि. रकबा 0.81 हेक्टेयर कुल रकबा 0.81 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी /ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01/09/2021 को पारित किया गया है।



Statutory Alert

1. The authenticity of the Stamp and Seal should be verified at www.indiastamp.com or using e-Stamp Mobile App of State.
2. For the details on the e-Stamp and its activation do the website/Mobile App under e-Stamp.
3. For the details on the e-Stamp and its activation do the website/Mobile App under e-Stamp.

5- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6- यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7- यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8- यह कि इस संस्था में फार्मसी कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा

9- यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/ महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10 - यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लॉक रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11- यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12- यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भली भांति पालन करूंगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद कि निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13- मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी कूटचित अथवा प्रतिपूर्णादि होते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही कि जा सकती है। कि गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

D. G. Karmar
सचिव

मेवाला लक्ष्मी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
मालाधर छत्ता, कुण्डा-प्रतापगढ़

S. C. Mishra
Notary Advocate
Kunda-Pratapgarh

R. S. Khat
सचिव

अध्यक्ष

मेवाला लक्ष्मी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
मालाधर छत्ता कुण्डा प्रतापगढ़